न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 33/2019

1. रेशम सिंह उर्फ दलोर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 9 एफ ए माझीवाला तहसील श्री करणपुर ।

--वादी--

बनाम

1. हरनेक सिंह पुत्र हरदित सिंह जाति जटसिख निवासी 9एफ ए माझीवाला तहसील श्री करणपुर ।
2. मुन्शी सिंह पुत्र हरदित सिंह जाति जटसिख निवासी 9एफ ए माझीवाला तहसील श्री करणपुर।
3. जसकरण सिह पुत्र जबर सिह जाति जटसिख निवासी 9एफ ए माझीवाला तहसील श्री करणपुर ।
4. सुखवीर कौर पत्नि जसकरण सिह जाति जटसिख निवासी 9एफ ए माझीवाला तहसील श्री करणपुर ।
5. नागौर सिह पुत्र जरनैल सिह जाति जटसिख निवासी 3 एल ए सी तहसील विजयनगर जिला श्री गंगानगर।
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादीगण --

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए</u>

--निर्णय-- दिनांक : 19/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 9 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता स. 89/78 के मु.न. 25 व 31 की 3.606 हैक्टर नहरी मय खाल में से 1.582 हैक्टर नहरी भूमि वादी व उसके भाई नगौर सिह के नाम बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में वादी के नाम रकबा जरिए वसीयत इन्तकाल संख्या 329 वादी के नाम दर्ज हुआ। वादी का वास्तविक नाम रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह जाति जटसिख निवासी 9 एफ ए माझीवाला तहसील श्री करणपुर है वादी के राशन कार्ड संख्या 01026, आधार कार्ड संख्या 633936693660, पहचान पत्र संख्या आर.जे./02/011/1008140, मूल निवास प्रमाण पत्र, ग्रम पंचायत 9 एफ ए माझीवाला व ग्राम पंचायत 3 सी ए डी (मसानीवाला) द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का वास्तविक नाम रेशम सिह पुत्र जरनैल सिंह अंकित है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम दलौर सिह पुत्र जरनैल सिह है तथा अन्य तमाम दस्तावेज में वादी का नाम रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह होने के कारण वादी को हर समय पेरशानी का सामना करना पडता है। सम्बन्धित विभाग में अपने दो नाम होने के सम्बन्ध में एवं अपनी पहचान बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादी उक्त जमाबन्दी में अपना नाम संशोधित करवाकर दलोर सिह उर्फ रेशम सिह करवाना चाहता है। वादी ने इस सम्बन्ध में दिनांक 28.06.2018 को राजस्व कैम्प कोर्ट में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना नाम संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। जिस पर वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दिनांक 18.07.2018 को प्रस्तुत किया। जिसमें तहसीलदार साहब द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.01.2019 में आवेदक के अनुतोष को लिपिकीय त्रूटि नही माना। उक्त रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्याायालय द्वारा वादी का आवेदन पत्र दिनांक 26.03.2019 को

Reena

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

खारिज कर दिया गया। इस कारण वादी द्वारा अपना नाम दलोर सिह उर्फ रेशम सिह घोषित करवाने हेतु उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 9 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 89/78 के मु.न. 25 व 31 के 3.606 हैक्टर नहरी मय खाल भूमि में से 1.582 हैक्टर मे वादी का नाम दलोर सिह के स्थान पर दलोर सिह उर्फ रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बाद तामील उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा चक 9 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 89/78 के मु.न. 25 व 31 के 3.606 हैक्टर नहरी मय खाल भूमि में से 1.582 हैक्टर मे वादी का नाम दलोर सिह के स्थान पर दलोर सिह उर्फ रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र , मूल निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत 9 एफ ए माझीवाला व ग्राम पंचायत 3 सी ए डी (मसानीवाला) द्वारा जारी प्रमाण पत्र में नाम रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह अंकित है। जमाबन्दी में नाम दलोर सिह अंकित है। सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 9 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 89/78 के मु.न. 25 व 31 के 3.606 हैक्टर नहरी मय खाल भूमि में से 1.582 हैक्टर मे वादी का नाम दलोर सिह के स्थान पर दलोर सिह उर्फ रेशम सिह पुत्र जरनैल सिह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। निर्णय एवं डिक्री प्रति पत्र सहित संबधित बैंक को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/8/201.. ~~को मेरे~~ द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Reeni

{श्री मती रीना छिम्पा आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)